

उत्तराखण्ड शासन

सामान्य प्रशासन विभाग,

संख्या-132/xxxi(15)G/2022-31(सा0)/2015

देहरादून दिनांक 02 फरवरी, 2022

विज्ञप्ति / विविध

निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881(एक्ट संख्या-26,1881) की धारा 25 में प्राप्त उन अधिकारों को प्रयोग में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पव-1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल महोदय, **दिनांक 14 फरवरी, 2022 (दिन सोमवार)** को राज्य में होने वाले राज्य विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के मतदान की तिथि के अवसर पर राज्य क्षेत्र में आने वाले समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों/मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत/मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी बैंक/कोषागार/उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।

(डॉ० एस०एस० सन्धु)

मुख्य सचिव।

संख्या- (1)/xxxi(15)G/2022-31(सा0)/2015 तददिनांक।

**प्रतिलिपि-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित, जिसे मा० न्यायालय, आवश्यक समझे।
- 2- सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
- 3- सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन विभाग, नई दिल्ली।
- 4- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
- 5- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 8- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 9- स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- समस्त राज्य सरकारों तथा संघ के राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव तथा रीजनल डायरेक्टर इण्डियन मीटिरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलीपुर, कोलकत्ता।
- 11- मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।

कमश.....2.....पर/

1/445/2022  
1/445/2022

- 12- मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली/उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली।
- 13- प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, हाल-सचिवालय परिसर।
- 14- समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 15- निदेशक, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001.
- 16- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 17- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 18- महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने एवं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्रों में प्रसारित कराने हेतु।
- 19- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड प्रदेश के असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर उसकी 300 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 20- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 21- गार्ड फाईल।

**Signed by Vinod Kumar**

**Suman**

(विनोद कुमार सुमन)  
सचिव (प्रभारी)

**Date: 02-02-2022 17:30:22**